

प्रेषक,

हरीश चन्द्र
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक
नागरिक सुरक्षा उ0प्र0
लखनऊ ।

गृह (नागरिक सुरक्षा) अनुभाग

दिनांक: लखनऊ 22 जून, 2004

विषय : नागरिक सुरक्षा संगठन में विपश्यना प्रशिक्षण लागू करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, नैतिकता तथा कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु 10 दिवसीय "विपश्यना साधना प्रशिक्षण" को उपयोगी पाते हुए इसे विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए 'विपश्यना साधना प्रशिक्षण शिविर' आयोजित किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि इस प्रशिक्षण में केवल "साधना/योग" के ही संबंध में प्रशिक्षण होगा और कोई धर्म विशेष इस प्रशिक्षण का भाग नहीं बनेगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन हो।

भवदीय,

(हरीश चन्द्र)
प्रमुख सचिव

संख्या: 1416(1)/छ:नासु-04-401 होगा/03 टी0सी0, तददिनांक

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
4. कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ को विपश्यना साधना को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने की अभ्युक्ति के साथ प्रेषित ।
5. आचार्य श्री एस0एन0 गोयनका, धम्मगिरी एवं धम्म तपोवन, विपश्यना इन्टरनेशनल एकेडमी, ईगतपुरी-422403, नासिक, महाराष्ट्र ।
6. श्री गोपाल शरण सिंह, वरिष्ठ सहायक आचार्य, धम्म निवास, दिशा इण्टर कालेज के बगल में, ग्राम-कमता, पो0-चिनहट, जनपद-लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(हरीश चन्द्र)
प्रमुख सचिव